भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3622
(17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

"बीपीएल प्रणाली में विसंगतियां"

3622. कुमारी सैलजा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बीपीएल प्रणाली में विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के माध्यम से घरेलू आय के स्व-प्रमाणन के संबंध में क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) सरकार बीपीएल श्रेणी में प्रवेश की आसानी को ध्यान में रखते हुए यह किस तरह से सुनिश्चित कर रही है कि वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक बीपीएल योजनाओं के तहत मुफ्त खाद्यान्न और रियायती तेल जैसे लाभ पहुंचें; और

(ग) सिर्फ नवंबर, 2024 में ही 8,12,198 लोगों की बढ़ोत्तरी के साथ बीपीएल श्रेणी में जोड़े गए लोगों की बढ़ती संख्या में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) अथवा परिवार पहचान पत्र योजना हरियाणा राज्य से संबंधित है। जैसा कि हरियाणा सरकार द्वारा सूचित किया गया है , राज्य के निवासी हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम , 2021 के प्रावधानों के अनुसार एक परिवार आईडी (परिवार पहचान पत्र) के हकदार हैं। ऐसे निवासी जो किसी परिवार आईडी के सदस्य हैं , वे अपनी संबंधित आय सहित अधिसूचित विभिन्न डेटा क्षेत्रों में अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं/प्रस्तुत करते हैं या अपडेट करते हैं। परिवार के संबंधित सदस्यों के लिए आय सीमा और पूरे परिवार के लिए एक समग्र आय सीमा का आकलन सरकार के पास उपलब्ध किसी भी डेटा के साथ एकीकरण या तुलना करते हुए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भौतिक सत्यापन और सूचना के पश्चात किया जाता है।

(ख) और (ग): हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि बीपीएल योजनाओं के अंतर्गत लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)/अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लाभार्थियों को सभी आवश्यक वस्तुओं का वितरण केवल प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) उपकरणों के माध्यम से आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद ही किया जा रहा है। इसके अलावा , प्रत्येक उचित मूल्य दुकान डीलर के बिक्री/स्टॉक रजिस्टर विभागीय ऑनलाइन पोर्टल , अर्थात आधार सक्षम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (एईपीडीएस) पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि राज्य, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या से अधिक लाभार्थियों को खाद्यान्नों के वितरण सहित लाभ प्रदान करता है।

****